बउनवान ......ओमप्रकाश...... बनाम ......उ.प्र. राज्य......

धारा ......ज०वि०को०/ प्र०प० 212...... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... हुक्म की ता...
	पेश नहीं करने पर जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारिज समझी जावेगी। मिसल वास्ते तलबी में दिनांक 1/7/25 को पेश [signature] उपखण्ड अधिकारी इटावा	
1/7/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 21/8/2025 को पेश हो [signature]	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०. प्रार्थना पत्र 212 का मूल वाद विड्रा हो चुका है, अतः प्रार्थना पत्र 212 चलने का कोई औचित्य नहीं है, अतः प्रार्थना 212 RT Act का प्रार्थना पत्र भी विड्रा किया जाता है, पत्रा० नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी इटावा	वादी ओमप्रकाश पहचान [illegible] [signature] कनि० 1 आदेश

FORM No. III
फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत ..... सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)..... मुकाम .....

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा..... नं. ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
30/5/25	प्रार्थना पत्र प्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से श्री रमेश बैरवा एड0 द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया की मामला अर्जेंट नेचर का है, इसे आज ही सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों व तर्कों से प्रथम दृष्टया सहमत होकर, प्रकरण को गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक वाके ग्राम चाणदा पटवार हलका गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता सं0 नया 96 पुराना 5 में ख0नं0 36 रकबा 1.46है0, नहरी दोयम एवं वाके ग्राम डोरली पटवार हलका विनायका तह0 पीपल्दा में स्थित खाता संख्या नया 6 पुराना 5 में ख0नं0 149 रकबा 2.18है0 कृषि भूमि में प्रार्थी के कृषि काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा उक्त विवादित भूमि में किसी प्रकार से रहन बेचान, दान, वसीयत हक त्याग, हस्तान्तरित नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधि से करावे। अप्रार्थीगण को यदि कोई उज्र हो तो आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये रजि0 ए0डी0 के तलबी सम्मन से की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से नियत दिनांक तक रजि0 ए0डी0 के तलबी सम्मन	

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी